(79)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर ।

प्रकरण क्रमांक निगरानी – 2919/2018/श्योपुर/भू.रा.

कमल किशोर वैरागी पुत्र श्री रामप्रसाद जी वैरागी निवासी ग्राम खोजीपुरा/ढोढर ,तहसील श्योपुर , जिला श्योपुर मध्य प्रदेश।

----- आवेदक ।

श्री मुकेश कार्तिक काशि॰ द्वारा आज दि॰ 10-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 22-5-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 10-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बिरूद्ध

1–हमीद खॉ पुत्र नूर मोहम्मद जाति भिस्ती मुसलमान धन्धा टेलरिग, खॉन टेलर, दुकान श्रीराम धर्म शाला के सामने श्योपुर निवासी मोहल्ला छारबाग, श्यौपुर ,जिला श्यौपुर ,म0प्र0।

2–अयूब खॉ पुत्र नूर मोहम्मद जाति भिस्ती मुसलमान धन्धा टेलरिग, खॉन टेलर, दुकान श्रीराम धर्म शाला के सामने श्योपुर निवासी मोहल्ला छारबाग, श्यौपुर ,जिला श्यौपुर ,म0प्र0।

3–प्रेम सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह आयु 50 साल निवासी फौजी का डेरा, ग्राम बगदरी/बगदिया, पोष्ट आफिस ढोढर,तेहसील श्योपुर जिला श्योपुर मध्य प्रदेश।

----- अनावेदकगण।

मुकेश भार्गव 10-5-18 एडवोकेट ग्वालियर

कलैक्टर श्योपुर के समक्ष प्रेमसिंह व्दारा निगरानी आवेदन पत्र पेश करने पर दिनांक 20.02.2018 को कलैक्टर व्दारा निगरानी आवेदन की जॉच अनुबिभागीय अधिकारी राजस्व श्यौपुर से प्रकरण क्रमांक 88/2000–2001 अ/19 आदेश दिनांक 26..10.2001,प्रकरण क्रमांक 133/2001–2002 अ/19 कराने के आदेश के बिरूद्ध निगारानी आवेदन पत्र।

निगारानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता।

मान्यवर महोदय,

आवेदक की और से आवेदन पत्र निम्नलिखित पेश है :––

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1– यहकि अनावेदक क्रमांक 03 ने न्यायालय अपर कलैक्टर महोदय श्यौपुर जिला श्यौपुर मध्य प्रदेश के समक्ष निगरानी तहसीलदार श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 88/2000–01 अ/19 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2001 के बिरूद्ध निगरानी पेश की थी , उपरोक्त निगरानी आवेदन पत्र के साथ एक आवेदन पत्र स्वॅयमेव निगरानी में लेने बावत् पेश किया था। जिस पर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय कलैक्टर श्यौपुर ने अनुबिभागीय अधिकारी श्यौपुर को यह आदेश जारी किया कि :––

कार्यालय कलैक्टर जिला श्यौपुर मध्य प्रदेश।

क्रमांक /रीडर–2/2018/2399 श्योपुर दिनांक 21.02.2018

प्रति,

अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व),

बिषय:–आवेदन पत्र स्वंमेव निगरानी में लेने बावत्।

संदर्भ:–आवेदक श्री प्रेमसिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाट सिक्ख निवासी ग्राम बगदिया तहसील व जिला श्यौपुर का आवेदन दिनांक 02.08.2017

क्रमशः––––––2

कमल किशोर वैरागी

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2919/2018/श्योपुर/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-2-19	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 88/2000-01/अ-19/ में पारित आदेश दिनांक 26.10.01 के विरूद्व म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:- धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन- (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला श्योपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 कलेक्टर जिला - श्योपुर	